

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक: D/3995/

जबलपुर, दिनांक 20 / 06 / 2018

दो-13-16 / 18

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1 / 2012 / नियम / चार भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 2012 के आलोक में श्री राजीव लोचन तिवारी, सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2018 पर पात्रतानुसार कुल 240 दिन के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही / -
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. D/3996/

जबलपुर, दिनांक 20 / 06 / 2018

दो-13-16 / 18

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा / पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक / अवकाश / सेवापुस्तिका / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री राजीव लोचन, सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(अजय पवार)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)